

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर


आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2019-00895

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध श्री भीखम साव, बी.के.एस. ग्रुप, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
07/12/2019	<ul style="list-style-type: none">- प्रकरण प्रस्तुत।- अनावेदक स्वयं उपस्थित।- प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा में स्वयं का एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराए बिना, सुमंगल सिटी एवं सत्य विहार, बिलासपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पाम्पलेट के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था।- अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक द्वारा प्रमुख रूप से कथन किया गया है कि उक्त प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है, जिसका पंजीयन क्रमांक-PCGRERA010818A000264 के रूप में पंजीकृत है। उन्हें रेरा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण अनजाने में यह चूक हुई है। अनावेदक ने भविष्य में रेरा अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करने का कथन करते हुए सद्भाविक त्रुटि के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया है।- प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रकरण में अनावेदक पाम्पलेट प्रसारित करने की तिथि के काफी पूर्व ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में नये होने से अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण उनके द्वारा की गई चूक सद्भाविक है। अतः अनावेदक को अधिनियम के प्रावधानों का भविष्य में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।- प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।	




(नरेन्द्र कुमार असवाल)
सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर


(विवेक ढांड)
अध्यक्ष
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर